102

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ 1441/1751 **दिनांकः–** 28/05/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग
- 4 JUN 2014
बिहार सरकार पटना

महाशय,

नगर पंचायत, नवगछिया के वर्ष 2011–12 से 12–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 462/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

507 06.06.14

5.6.14

9/6

20/10 62 9/6/14

110

नगर पंचायत, नवगछिया

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 462/2013–14

अवधि– 2011– 12 से 12– 13

1. **प्रस्तावना :–**

नगर पंचायत, नवगछिया के वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के लेखाओं का अंकेक्षण प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 02/05/13 से 09/05/2013 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन :–**

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यापालक पदाधिकारी थे –

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल
1.	श्रीमति रेखा देवी (अध्यक्ष)	01.04.2011 से 31.05.2012
2.	श्रीमती इंद्रा देवी (अध्यक्ष)	01.06.2012 से 31.03.2013
3.	श्री अरूण कुमार यादव(उपाध्यक्ष)	01.04.2011 से 31.03.2013
4.	श्री संजय कुमार(कार्य0पदा0)	01.04.2011 से 31.03.2013

3. **अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र :–**

अंकेक्षण में जॉच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट – 1 में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था या अधूरा संधारित या संधारित नहीं किया गया था को परिशिष्ट– II में दर्शाया गया है।

4. **पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन**

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र.सं.	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.	कुल कंडिकाओं की सं.	निस्तारित कंडिकाओं की सं.	बकाया कंडिकाओं की सं.
1	206/85–86 वास्ते 1981–82 से 1982–83	30	18	12
2	140/86 – 87 वास्ते 1983–84 से 1985–86	25	15	10
3	8/2000–01 वास्ते 1986–87 से 1992–93	34	25	09
4	65/2002–03 वास्ते 1993–94 से 2001–02	27	09	18
5	190/2008 वास्ते 2002–03 से 2007–08	32	0	32
6	549/2008 वास्ते 2009 से 2010–11	31	0	31
				कुल 112

उपर्युक्त 112 कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को भेजा जाय। ध्यातव्य है कि अनुपालन नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा का उद्‌देश्य विफल हो जाता है।

5. **लेखापरीक्षा की मुख्य उपलब्धि**

लेखापरीक्षा की मुख्य उपलब्धियॉ निम्न थी–

क्र. सं.	राशि	कंडिका सं.	विवरणी
1	रू॰ 1.49 लाख	12	जमा नहीं
2	रू॰ 9.42 लाख	15	संचार मोबाइल टावरों का अपंजीकृत रहना एवं शुल्क बकाया
3	रू॰ 5.18 लाख	21(ग)	निष्फल व्यय
4	रू॰ 21.8 लाख	22	निष्फल व्यय
5	रू॰ 23.59 लाख	23(ख)	सोलर लाइट क्रय में अनियमितता

6. **स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल**

नगर पंचायत द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृत बल का पत्रांक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार 40 स्वीकृत बल था जबकि दिनांक 31.3.2013 को कार्यरत बलों की संख्या 12 थी। संविदा पर कर्मचारी 4, अनुबंध पर कर्मचारी 7 और दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मचारी 12 थे। जिनका विवरण निम्न है। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी–

(i)

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1	आलोक कुमार गुप्ता	प्रधान सहायक सह नाजिर
2	विन्देश्वरी प्र॰ सिंह	आदेशपाल
3	कैलाश मेहतर – 1	सफाई कर्मचारी
4	कैलाश मेहतर – 2	सफाई कर्मचारी
5	सुलोन मेहतर	सफाई कर्मचारी
6	शैलेन्द्र मेहतर	सफाई कर्मचारी
7	बालदेव मेहतर	सफाई कर्मचारी
8	जामुन मेहतरानी	सफाई कर्मचारी
9	बेगिया मेहतरानी	सफाई कर्मचारी
10	सतिया मेहतरानी	सफाई कर्मचारी
11	सोबिया मेहतरानी	सफाई कर्मचारी
12	रूपा मेहतरानी	सफाई कर्मचारी

(ii) संविदा पर कर्मचारी

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1	सुरेन्द्र प्र० मंडल	टैक्स दरोगा
2	संजय कुमार झा	तहसीलदार
3	संतोष कुमार	सहायक लिपिक
4	भुटो पासवान	आदेशपाल

(iii) अनुबंध पर कर्मचारी

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1	प्रीतम कुमार	सहायक लिपिक सह कम्प्युटर चालक
2	किरण कुमारी	आदेशपाल
3	रमेश कुमार साह	सफाई निरीक्षक
4	मो० मुस्ताक	रात्रि प्रहरी सह आदेश पाल
5	मो० रूकसार	चालक
6	मो० शरीफ उद्धीन	चालक
7	मो० मोजिम	चालक

(iv) दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मचारी

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1	अमित कुमार सिंह	लिपिक
2	बिहारी मेहतर	सफाई कर्मचारी
3	प्रकाश मेहतर	सफाई कर्मचारी
4	प्रदीप मेहतर	सफाई कर्मचारी
5	धमेन्द्र मेहतर	सफाई कर्मचारी
6	मंजु मेहतरानी	सफाई कर्मचारी
7	ज्ञानी मेहतरानी	सफाई कर्मचारी
8	प्रमोद मेहतर	सफाई कर्मचारी
9	शशिकला मेहतरानी	सफाई कर्मचारी
10	वरूण मेहतर	सफाई कर्मचारी
11	संदिप मेहतर	सफाई कर्मचारी
12	सोनु मेहतर	सफाई कर्मचारी

इनकी नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कारवाई से भी अवगत नहीं कराया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यपालक महोदय का जबाब था कि "विभागीय निर्देश के प्रत्याशा में बहाली की प्रक्रिया लंबित है"।

7(i) **अधिदृश्य**

सामान्य रोकड़ बही

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2011–12	राशि
1	प्रारंभिक अवशेष (1.4.2011)	9816163.39
2	चालू वर्ष में कुल प्राप्ति	22958962.65
3	कुल प्राप्ति	32775126.04
4	चालू वर्ष में किया गया कुल व्यय	12345574.00
5	अंतिम शेष (31.3.2012)	20429552.04

वित्तीय वर्ष 2012–13

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2012–13	राशि
1	प्रारंभिक अवशेष (1.4.2012)	20429552.04
2	चालू वर्ष में कुल प्राप्ति	23852904.00
3	कुल प्राप्ति	44282456.04
4	चालू वर्ष में किया गया कुल व्यय	16017921.00
5	अंतिम शेष (31.3.2013)	28264535.04

PL Account	-	19662494.00
PNB A/C No -	304300100029639 –	5222705.83
H D F C A/C No	2133145000001 -	1931204.52
Allahabad Bank A/C No.	50147421475 -	2863412.00
भागलपुर बॉका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक A/C No	197/1 -	27706.00
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		144672.00

कुल – 29852194.41

रोकड़ बही तथा बैंक शेष के बीच अंतर रू० (29852194.41 – 28264535.04) अर्थात 15,87,659.37 था।

उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यपालक महोदय का जबाब था कि " सामाजिक सुरक्षा की राशि को आहरण नहीं किया गया है जिसके कारण राशि – बैंक खाता में अधिक है। "

रोकड़ पंजी तथा बैंक पासबुक का समाधान तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(१७)

(ii) BRGF का वित्तीय अधिदृश्य

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2011–12	राशि
1	प्रारंभिक अवुशेष	1716288.00
2	आवंटन	1570103.00
3	ब्याज	शुन्य
4	अन्य	शुन्य
5	वर्ष की प्राप्ति	1570103.00
6.	कुल प्राप्ति	3286391.00
7.	व्यय	
8.	योजना	2879302.00
9.	अन्य	शुन्य
10.	कुल व्यय	2879302.00
11.	अंतिम शेष	407089.00

BRGF का वित्तीय अधिदृश्य

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2012–13	राशि
1	प्रारंभिक अवशेष	407089.00
2	आवंटन	1352404.00
3	ब्याज	शून्य
4	अन्य	शून्य
5	वर्ष की प्राप्ति	1352404.00
6.	कुल प्राप्ति	1759493.00
7.	व्यय	
8.	योजना	शून्य
9.	अन्य	शून्य
10.	कुल व्यय	शून्य
11.	अंतिम शेष	1759493.00

(iii) प्रशासनिक भवन का वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्ष	2011–12	2012–13
पूर्वाशेष	2887875.00	67408.00
आवंटन	शून्य	1618875.00
ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल वर्ष की प्राप्ति	शून्य	1618875.00
कुल प्राप्ति	2887875.00	1686283.00
व्यय		
योजना	2820467.00	शून्य

96

अन्य	शून्य	शून्य
कुल	2820467.00	शून्य
अंतिम शेष	67408.00	1686283.00

अप्रस्तुत बैंक पासबुक को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(iv) चापाकल का वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्ष	2011–12	2012–13
पूर्वाशेष	4405.00	381646.00
आवंटन	377241.00	373623.00
ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल वर्ष की प्राप्ति	3777241.00	373623.00
कुल प्राप्ति	381646.00	755269.00
व्यय		
योजना	शून्य	395721.00
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	395721.00
अंतिम शेष	381646.00	359548.00

(v) बारहवी/तेरहवीं वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्ष	2011–12	2012–13
पूर्वाशेष	2036743.00	3294480.00
आवंटन	5110193.00	शून्य
ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल वर्ष की प्राप्ति	5110193.00	शून्य
कुल प्राप्ति	7146936.00	3294480.00
व्यय		
योजना	3852456.00	3274345.00
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	3852456.00	3274345.00
अंतिम शेष	3294480.00	20135.00

(vi) अलाव सहायक रोकड़बही का वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्ष	2011–12	2012–13
पूर्वाशेष	शून्य	शून्य
आवंटन	शून्य	8800.00
ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल वर्ष की प्राप्ति	शून्य	8800.00

कुल प्राप्ति	शून्य	8800.00
व्यय		
योजना	शून्य	8800.00
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	8800.00
अंतिम शेष	शून्य	शून्य

(vii) मैचिंग ग्रान्ट का वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्श	2011–12	2012–13
पूर्वाशेष	1384549.00	1384549.00
आवंटन	शून्य	शून्य
ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल वर्ष की प्राप्ति	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	1384549.00	1384549.00
व्यय		
योजना	शून्य	1384549.00
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	1384549.00
अंतिम शेष	1384549.00	शून्य

(viii) स्वर्ण जयंती का वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्श	2011–12	2012–13
पूर्वाशेष	364797.00	364797.00
आवंटन	शून्य	300000.00
ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल वर्ष की प्राप्ति	शून्य	3000000.00
कुल प्राप्ति	364797.00	3364797.00
व्यय		
योजना	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
अंतिम शेष	364797.00	3364797.00

(ix) रोड फण्ड का वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्ष	2011–12	2012–13
पूर्वाशेष	296125.38	725493.38
आवंटन	448507.00	444196.00
ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल वर्ष की प्राप्ति	448507.00	444196.00
कुल प्राप्ति	744632.38	1169689.38
व्यय		
योजना	19139.00	1095467.00
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	19139.00	1095467.00
अंतिम शेष	725493.38	74222.38

(x) निर्वाचन का वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय वर्ष	2011–12	2011–12
पूर्वाशेष	37068.25	37068.25
आवंटन	शून्य	164188.00
ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल वर्ष की प्राप्ति	शून्य	164188.00
कुल प्राप्ति	37068.25	201256.25
व्यय		
योजना	शून्य	174047.00
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	174047.00
अंतिम शेष	37068.25	27209.25

जब उक्त आपत्ति को लेखापरीक्षा में उठाया गया तो कार्यपालक पदाधिकारी का उत्तर उक्त आपत्ति के संदर्भ में नहीं था बल्कि तैयार किये गये आय–व्यय विवरणी पर था जो कि लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है। अतएव 31.03.2013 को उक्त बैंक पासबुक एवं रोकड़ बहियों के शेष के अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में बैंक पासबुकों के साथ प्रस्तुत किया जाय।

8. बजट प्राक्कलन

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के अनुसार नगरपालिका अधिकारी एक विस्तृत बजट प्राक्कलन तैयार करेगा जिसमें आगामी वर्ष में होने वाले आय एवं व्यय का

उल्लेख रहेगा। धारा 84 के अनुसार नगरपालिका द्वारा पारित बजट प्राक्कलन 15 मार्च तक नगर पंचायत के मामलों में क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय, बिहार सरकार को प्रेषित किया जायेगा। आवश्यक परिवर्त्तन के साथ बजट प्राक्कलन 31 मार्च तक सम्बन्धित नगर निकाय को वापस कर दिया जायेगा। धारा 82 के अनुसार नगरपालिका निधि से तबतक कोई व्यय नहीं किया जा सकता है जबतक उसे बजट प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया हो। लेकिन अंकेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि बजट के मंजूरी के बिना ही व्यय किया जा रहा था। बजट प्राक्कलन के बिना किये गये व्यय को नियमित नहीं माना जाता है।

जबाव में बताया गया कि बजट प्राक्कलन तैयार कर व्यय किया जायेगा। बजट प्राक्कलन के बिना किया गया व्यय अप्राधिकृत था। भविष्य में बजट प्राक्कलन समय से तैयार कर व्यय किया जाय।

9(क) अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण पूर्व के अनुदान का अवशेष की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन सहायक रोकड़ बहियों के (वर्ष 2011–12 से 2012–13) अनुसार दिनांक 31/03/2013 को प्राप्ति एवं व्यय निम्नवत था

(i) प्रशासनिक भवन

पत्रांक / दिनांक	राशि
नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के पत्रांक 103 दिनांक 9.3.2013	रू० 16,18,875.00
व्यय	रू० 45,06,750

(ii) जनगणना

पत्रांक / दिनांक	राशि
(क) जिलाधिकारी के ज्ञापांक 25 दिनांक 4.3.2011	रू० 1,79,700.00
(ख) जिलाधिकारी के ज्ञापांक 01 दिनांक 20.1.2012 के द्वारा आवंटन	रू० 381300.00
(ग) व्यय	रू० 5,61,000.00

(iii) चापाकल

पत्रांक / दिनांक	राशि
(क) पत्रांक 52 दिनांक 19.3.2012	रू० 3,77,241.00
(ख) पत्रांक 88 दिनांक 4.3.2013	रू० 373623.00
कुल अनुदान	रू० 750864.00
(ग) व्यय	रू० 395721.00
अवशेष	रू० 355143.00

92

(iv) रोड निमार्ण

पत्रांक / दिनांक	राशि
(क) पत्रांक 52 दिनांक 19.3.2012	रू० 4,48,507.00
(ख) नि.वि. एवं आ.वि. बिहार, पटना के पत्रांक 88 दिनांक 4.3.2013	रू० 4,44,196.00
	रू० 8,92,703.00
(ग) व्यय	रू० 11,14,606,.00

(v) निर्वाचन प्रतिनिधि भत्ता

पत्रांक / दिनांक	राशि
(क) 2011–12 के लिए आवंटन	रू० 83,400.00
(ख) व्यय	रू० 77,436.00
(ग) अवशेष राशि	रू० 5,964.00

अनुदान पंजी के अनुपस्थिति में यह पता नहीं लगाया जा सका कि उक्त अनुदानों की राशि का व्यय उसी मद में किया गया जिस कार्य हेतु राशि प्राप्ति हुआ था। अतएव अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ताकि उक्त वांक्षित जानकारी प्राप्त किया जा सके। उक्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए एवं अवशेष राशि को यथाशीघ्र व्यय करें।

(vi) पूर्व का अवशेश अनुदान

पूर्व के कुल अनुदान के सहायक रोकड़ बहियों के अनुसार दिनांक 31.03.2013 को अवशेष राशि निम्नवत थी–

(i) SJSRY	रू० 33,64,797.00
(ii) NSDP	रू० 2172.00
(iii) MLA FUND	रू० 14,500,00

इस राशि का व्यय वर्ष 2011–2012 से 2012–13 तक नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में उक्त आपत्ति के उत्तर में कहा गया कि अवशेष राशि को नियमानुसार व्यय कर दिया जायेगा। इस राशि को यथाशीघ्र व्यय किया जाय या आवश्यकता नहीं हो तो सरकार को वापस किया जाय।

(ख) अनुदान

नगर पंचायत, नवगछिया को वर्ष (2011–12 से 2012–13) के दौरान प्राप्त अनुदानों की स्थिति निम्नलिखित थी –

क्र.सं.	सहायक रजिस्टर का दिनांक	पत्रांक/दिनांक	राशि	विवरण
1	30.3.2012	पत्रांक 52/19.3.2012	4,48,507	रोड फन्ड
2	30.12.2012	नि.वि. एवं आर.वि. बिहार, पटना के पत्रांक 88 दिनांक 4.3.2013	4,44,196.00	तथैव
3	31.3.2013	जिलाधिकारी द्वारा के द्वारा निर्गत आवंटन	8,800.00	अलाव
4	31.3.2012	2011–12 के लिये आवंटन	83,400.00	निर्वाचित प्रतिनिधि भत्ता
5	24.10.2011	जिलाधिकारी के ज्ञापांक 25 दिनांक 4.3.2011	1,79,700.00	जनगणना
6	3.4.2012	जिलाधिकारी के ज्ञापांक 01 तिथी 20.1.2012 के द्वारा आवंटन	3,81,300.00	तथैव
7	31.3.2013	अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया के द्वारा प्रदत आवंटन	1,64,188.00	निर्वाचन
8	31.3.2012	नि.वि. एवं आ.वि. के पत्रांक 52 दिनांक 19.3.2012 के द्वारा आवंटन	4,19,180.00	लाईट
9	31.3.2013	न.वि.वि. के पत्रांक 85 दिनांक 4.3.2013 के द्वारा आवंटन	4,15,137.00	लाईट
10	19.9.2012	उपविकास आयुक्त सह जिला S.E.C.C पदाधिकारी के पत्रांक 943 दिनांक 25.5.2012	25,000.00	आर्थिक गणना
11	01.10.2012	उपविकास आयुक्त सह जिला S.E.C.C के पत्रांक 52/11.5.2012	5,44,800.00	तथैव
12.	17.12.2012	पत्रांक 106/5.9.2012	71,000.00	तथैव
13	31.3.2013	न.वि. एवं आ.वि. पटना के पत्रांक 103 दिनांक 9.3.2013 के द्वारा प्रशासनिक भवन निमार्ण	16,18,875.00	प्रशासनिक भवन
14.	30.3.2012	पत्रांक 52 दिनांक 19.3.2012	3,77,241.00	चापाकल

15	30.3.2013	पत्रांक 88 /4.3.2013	3,73,623.00	चापाकल
16.	30.7.2013	नि.वि. एवं आ.वि. के पत्रांक 01/4.4.2013	11,75,000.00	General perelormone
17.	4.1.2013	पत्रांक 36 दिनांक 31.8. 2012	6,11,000.00	तथैव
18.	30.3.2012	नि.वि. एवं आ.वि. पटना के पत्रांक 52/दिनांक 10.3. 2012	8,31,357.00	विकास
19.	31.3.2012	पत्रांक 88, दिनांक 4. 3.2012	11,97,839.00	तथैव
20	4.1.2013	नि.वि. एवं आ.वि. पटना के पत्रांक 29 दिनांक 19.7. 2012	19,18,000.00	जेनरल बेसिक ग्रांट
21	30.3.2012	पत्रांक 52/वेतन आवंटन	29,09,766.00	वेतन
22		नि.वि. एवं आ.वि. पटना के पत्रांक 88 दिनांक 4.3.2013 के द्वारा चतुर्थ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2012–13 के लिए वेतन पेंशन	41,92,410.00	तथैव
23	14.12.2012	उपविकास आयुक्त भागलपुर द्वारा आवंटन	13,52,402.00	BRGF
24.	27.6.2011	नि.वि. एवं आ.वि. पटना पत्रांक 1837/30.3.2011 पत्रांक 186/30.3.11	15,00,000.00	13 वीं वित्त
25.	27.6.2011	नि.वि. एवं आ.वि. बिहार पटना पत्रांक 187/30.3. 2011 एवं 1838/ 30.3. 2011	4,193.00	13 वीं वित्त
26.	31.1.2012	नि.वि. एवं आ.वि. बिहार पटना पत्रांक 13 एवं 21/4.8.2011	16,00,000.00	तथैव
27.	31.1.2012	नि.वि. एवं आ.वि. बिहार पटना पत्रांक 15 एवं 24/23.8.2011	1,92,000.00	तथैव
28.	31.1.2012	नि.वि. एवं आ.वि. बिहार पटना पत्रांक 49/12.3. 2012	18,14,000.00	तथैव
29.	31.3.2013	नि.वि. एवं आ.वि. बिहार पटना पत्रांक 88/4.3.2013	20,00,000.00	United Fund

30.	30.3.2012	नि.वि. एवं आ.वि. बिहार पटना ज्ञपांक 60 दिनांक 19.3.2012 के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतू	3,14,371.00	लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतू
31.	31.3.2013	नि.वि. एवं आ.वि. बिहार पटना पत्रांक 88 दिनांक 4. 3.2013	3,11,353	तथैव
32.	4.12.2012	------	30,00,000.00	SGRY
33.	22.10.2011	------	69,000.00	कबीर अंत्येष्टि
34.	23.12.2011	------	34,500.00	तथैव
35.	1.2.2012	------	39,000.00	तथैव
36.	1.2.2012	------	69,000.00	तथैव
37.	26.3.2012	चेक सं० 558989 दिनांक 23.3.2012	69,000.00	तथैव
38.	26.3.2012	चेक सं० 558969 दिनांक 23.3.2012	1,72,500.00	तथैव
39.	15.1.2013	-----	4,14,000.00	तथैव
40.	15.1.2013	-----	1.72.500.00	तथैव
	कुल		30907138.00	

अंकेक्षण टिप्पणी

उपर लिखित सभी अनुदानों की स्वीकृति पत्र, व्यय, अनुदान पंजी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस संबंध में कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपर्युक्त सभी अनुदानों का स्वीकृति, व्यय, अनुदान पंजी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

10. कबीर अंत्येष्टि अनुदान

कबीर अंतयेष्टि अनुदान के सहायक रोकड़बही के नमूना अवलोकन एवं विवरणी के अनुसार नगन पंचायत, नवगछिया के सभी 23 वार्डों के वार्ड सदस्यों को वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक निम्नलिखित अग्रिम दी गई थी तथा उनके द्वारा समर्पित अभिश्रव निम्न है–

वार्ड सं.	कुल अंग्रिम की राशि	कुल अभिश्रव की राशि	बकाया अग्रिम
1	2	3	4
1	45195	10500	34695
2	45195	16500	28695
3	45195	3000	42195
4	45195	1500	43695
5	45195	13500	31695
6	45195	10500	34695
7	45195	16500	28695

8	45195	21000	24195
9	45195	10500	34695
10	45195	16500	28695
11	45195	10500	34695
12	45195	21000	24195
13	45195	9000	36195
14	45195	4500	40695
15	45195	12000	33195
16	45195	24000	21195
17	45195	22500	22695
18	45195	9000	36195
19	45195	शून्य	45195
20	45195	9000	36195
21	45195	10500	34695
22	45195	शून्य	45195
23	45195	21000	24195
	कुल		766485

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) अभिश्रव का सामंजस्य नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि अग्रिम के समायोजन हेतु कार्रवाई की जा चुकी है।

लेकिन इस तरह के किसी कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। अतः जबाव अमान्य है। अभिश्रव का सामंजन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) कबीर अंत्येष्टि के दिशानिर्देश के अनुसार वार्ड सदस्य को एक ही अग्रिम राशि 1500 अपने पास रखना था जबकि इन्हें अधिक मात्रा में अग्रिम दे दी गई थी जो कबीर अंत्येष्टि के दिशानिर्देश का उल्लंघन है।

इस संबंध में कोई भी जबाव नहीं दिया गया। अतः कुल अग्रिम राशि रू॰ 766485.00 के विरूद्ध केवल रू॰ 34500.00 (23 x 1500) ही अग्रिम दिया जाना चाहिए था। उक्त लंबित अग्रिमों के समायोजन अथवा वसूली के दिशा में समुचित कदम उठाये जाएँ।

11. **होल्डिंग टैक्स**

नगर पंचायत द्वारा मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, साथ ही Form 'K' तथा 'L' लेजर का भी संधारण नहीं किया गया था। इस कारण होल्डिंग टैक्स की वास्तविक मॉग (बकाया मॉग एवं चालू मॉग) वास्तविक वसूली तथा अंतिम अवशेष (बकाया मॉग एवं चालू मॉग) की गणना नहीं की जा सकी। मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण कर इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कर दरोगा द्वारा जो विवरण 2011–12 से 2012–13 को उपलब्ध कराया गया उसके अनुसार मॉग एवं वसूली निम्न थी।

वर्ष 2011–12

मॉग (बकाया + चालू)	रू॰ 12.14 लाख
वसूली (बकाया + चालू)	रू॰ 4.66 लाख
अन्तशेष (31.03.2012)	रू॰ 7.48 लाख

प्रतिशत (वसूली) 38.39%

वर्ष 2012–13

मॉग (बकाया + चालू)	रू॰ 19.55 लाख
वसूली (बकाया + चालू)	रू॰ 16.61लाख
अन्तशेष (31.03.2013)	रू॰ 2.94 लाख

प्रतिशत (वसूली) 84.97%

वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में वसूली प्रतिश क्रमशः 38.39% तथा 84.97% था। वसूली का प्रतिशत कम था।

जबाब में बताया गया कि कार्यरत बल के कमी के कारण होल्डिंग टैक्स की वसूली पूरी नहीं हो पायी। उक्त राजस्व की प्राप्ति के बढोतरी के दिशा में समुचित कदम उठाये जाए।

12. **प्रत्यक्ष विनियोजन**

(क) विविध मद से विविध रसीद द्वारा वसूली गई कुल राशि 1,47,332.00 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	**विविध रसीद सं.**	**वसूली की तिथि**	**वसूली की गई राशि**	**संग्रहाकर्त्ता का नाम**
1	723 से 747 तथा 766 से 800	18.4.2011 से 23.2.2012 27.2.2012 से 28.2.2012	42582.00	श्री आलोक कुमार गुप्ता
2	801 से 808 तथा 810 से 900	27.2.2012 27.2.2012 से 19.4.2012	17080.00	श्री आलोक कुमार गुप्ता
3	901 से 958 तथा 971 से 976	19.4.2012 से 7.3.2013 26.3.2013 से 20.4.2013	87670.00	श्री आलोक कुमार गुप्ता
		कुल	**1,47,332.00**	

उपर्युक्त आपत्ति के संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी का जवाब था कि "कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशोपरांत मो0 1,47,332.00 सीधा विनियोजन किया गया भविष्य में नहीं किया जाऐगा"। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आपत्ति के संदर्भ में दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं है, अतः सीधा विनियोजन की राशि को नियमानुसार नियमित किया जाय तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तबतक प्रत्यक्ष विनियोग की राशि ₹147332 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(ख) कम जमा/नहीं जमा

एच रसीद एवं डी.सी.आर. के नमूना जॉच में कर संग्राहक संजीव कुमार झा के द्वारा विविध रसीद एवं एच रसीद के नमूना जॉच के क्रम में पायी गयी कम जमा/नहीं जमा राशि का विवरणी निम्नलिखित है–

क्र.सं.	विविध रसीद सं.	वसूली की तिथि	वसूली की गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा की गई राशि
1	580	22.02.13	972	912	60
2	740	14.03.13	3616	3606	10
3	851	21.03.13	197	97	100
4	077 से 1029	05.03.13 से 30.04.13	28923	0	28923
5	809	27.02.12	12454	10344	2110
				कुल	31203

उपर्युक्त राशि 31203 नहीं जमा के अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त ₹170 दिनांक 09.05.13 को जमा कर दिया गया। इसकी समपुष्टि लेखापरीक्षा के द्वारा कर लिया गया।

₹28923 कम जमा को दिनांक 13.05.13 को जमा किया गया, साक्ष्य के रूप में बैंक जमा की छायाप्रति दिया गया लेखापरीक्षा के उपरान्त बैंक पासबुक (statement) में 28923 जमा को अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय। तबतक राशि ₹28923 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

₹12454 वसूली की गई राशि में से ₹10344 जमा दिखाया गया, शेष राशि ₹2110 श्री गुप्ता से वसूल किया जाय तथा नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में जमा दिखाया जाय।

13. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकार को जमा नहीं रू0 5.26 लाख**

नगर पंचायत, नवगछिया के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2012–13 में मुख्य करों के साथ वसूल किए गए शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि (नगर पंचायत, नवगछिया के द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार) में से वसूली शुल्क की 10% राशि कटौती कर शेष राशि जो राज्य सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा कर देना था नहीं किया गया था। विस्तृत विवरणी निम्नवत् है–

(A)

			10% राशि (वसूली व्यय)
वर्ष 2011–12	शिक्षा शेष	रू॰ 64158.00	रू॰ 6415.80
	स्वास्थ्य शेष	रू॰ 64158.00	रू॰ 6415.80
		रू॰ 128316.00	रू॰ 12831.60

रू॰ 128316.00 – रू॰ 12831.60 = रू॰ 115484.40

(B)

			10% राशि (वसूली व्यय)
वर्ष 2012–13	शिक्षा शेष	रू॰ 228465.00	रू॰ 22846.50
	स्वास्थ्य शेष	रू॰ 228465.00	रू॰ 22846.50
		रू॰ 456930.00	रू॰ 45693.00

रू॰ 456930.00 – रू॰ 45693.00 = रू॰ 411237.00

अतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की कुल राशि

A + B (115484.40 + 411237.00) = 526721.40 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य शेष की राशि सरकार के शीर्ष में जमा करा दिया जायेगा।

अतः उक्त शेषों की राशि रू॰ 526721.40 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

14. सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं रू॰ 1.72 लाख

होल्डिंग (सम्पत्ति) कर से सम्बन्धित मॉग एवं वसूली पंजी नगर पंचायत में असंधारित थी। जिसके कारण करों की मॉग, संग्रहण तथा बकाया की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। हालॉकि नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार सरकारी भवनों पर होल्डिंग कर के रूप में बकाया का विवरण 31.03.2013 तक निम्नलिखित था–

क्रमांक	सरकारी भवन का नाम	बकाया राशि (रू॰)
1	इण्टरस्तरीय विद्यालय नवगछिया	14486.00
2	अनुमंडल अस्पताल नवगछिया	12249.00
3	प्रखंड कार्यालय परिसर एवं अंचल	46962.00
4	जी.बी. कॉलेज नवगछिया	72878.00
5	मुख्य डाकघर नवगछिया	15524.00
6	दूरसंचार विभाग नवगछिया	10504.00
	कुल	172603.00

इस प्रकार रू॰ 172603.00 सरकारी भवनों पर बकाया सम्पति करों की वसूली नहीं की गई थी। जवाब में बताया गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः सरकारी भवन पर बकाया करों की वसूली यथाशीघ्र किया जाय।

(क) भारी माल वाहन प्रवेश शुल्क की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण हानि 300000.00

नगर पंचायत, नवगछिया के वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के सैरातों से सम्बन्धित संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु (भारी माल वाहन प्रवेश शुल्क की बन्दोबस्ती नहीं की गयी थी जिसके कारण नगर पंचायत को 3 लाख की हानि हुई (सम्बन्धित सैरात की सुरक्षित जमा राशि 3लाख)।

इस संबंध में निरीक्षित ईकाई द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया। अतः 3 लाख की वसूली बन्दोबस्ती नहीं करने हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय तथा नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

15. संचार (मोबाइल टावरों का अपंजीकृत रहना एवं कुल रू0 8.38 लाख शुल्क बकाया रहना)

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08/10/2012 को अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार नगर निगम/परिषद/पंचायत में पंजीकरण शुल्क क्रमशः रू0 50,000/रू0 40,000/रू॰ 30,000/ प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क रू॰ 15,000/ रू॰ 10,000/ 8000/– प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर पंचायत, नवगछिया द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत 13 मोबाईल टावर अधिस्थापित थे। ये सभी 13 मोबाईल टावर उपर्युक्त नियमावली के अनुसार नगर पंचायत से अपंजीकृत थे। मोबाईल टावरों पर कुल (पंजीकरण शुल्क रू0 3,90,000 + निर्धारित नवीनीकरण शुल्क 448000) अर्थात रू0 838000 शुल्क बकाया था। विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	वार्ड नं.	कंपनी	जमीन मालिक का नाम	पूर्व वसूल की गई पंजीकरण शुल्क	एन.ओ.सी. पंजीकरण बकाया	निर्धारित नवीकरण शुल्क बकाया	कुल बकाया	अभी॰
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	एयरटेल	कमलेश्वरी यादव (रसलपुर)	शून्य	30,000	32000	62000	08
2	6	एयरटेल	सफीक खॉं	शून्य	30,000	40000	70000	07
3	5	एयरटेल	उमा देवी पति रोजन्द्र प्र. सिंह (राजेन्द्र कंपनी)	शून्य	30,000	32000	62000	08
4	21	बी.एस.एन. एल.	प्रवीण भगत (स्टेशन रोड)	शून्य	30,000	32000	62000	08
5	19	एयरटेल	शांति देवी पति केदार प्र. जयसवाल	शून्य	30,000	32000	62000	08
6	19	वोडा + आईडिया	रघुवंश भगत	शून्य	30,000	24000	54000	09
7	14	टाटाइन्डी–कॉम	भगवती चिरानियॉं	शून्य	30,000	48000	78000	06
8	14	रिलायंस	प्रदीप चिरानियों वगैरह	शून्य	30,000	56000	86000	05
9	13	एयरसेल	मु. रूस्तम अंसारी	शून्य	30,000	24000	54000	09
10	15	एयरसेल	सत्तार अली	शून्य	30,000	32000	62000	08
11	15	एयरसेल	सत्तार अली	शून्य	30,000	48000	78000	06
12	11	दुस्संचार वि. मक्खा –तकिया	विवरणी अप्राप्त	शून्य	30,000	48000	78000	06
13	11	वोडा	रेणु देवी पति अजय यादव	शून्य	30,000	0	30000	12
				कुल	3,90,000	448000	838000	

अंकेक्षण टिप्पणी

उपर्युक्त नियम के अनुसार अधिष्ठापित 13 अपंजीकृत मोबाईल टावरों पर (पंजीकरण शुल्क रू॰ 3,90,000.00 + नवीकरण शुल्क रू॰ 448000.00) अर्थात कुल रू॰ 838000.00 राशि बकाया था। साथ ही अपंजीकृत टावरों को पंजीकृत कराने की दिशा में की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था।

182

नगर पंचायत द्वारा जवाब में कहा गया कि वसूली की दिशा में कारवाई की जा रही है। अतः अधिष्ठापित 13 टावरों पर कुल बकाया रू. 838000.00 की वसूली अतिशीघ्र की जाय।

16. **श्रम शेष की कटौती नहीं रू. 37224**

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं. 4/एफ 1–302, श्र.नि. – 865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को प्रेषित करने का प्रावधान है।

परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों की नमूना जॉच एवं नगर पंचायत, नवगछिया द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान क्रियान्वित योजनाओं से श्रम शेष की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण निम्न है।

क्र.सं.	**वर्ष**	**मद**	**योजनाओं की सं.**	**योजना पर किया गया व्यय**	**1% श्रम शेष की राशि**
1	2011–12	समेकित	01	रू॰ 319009.00	रू॰ 3190.09
2	2011–12	बी.आर.जी.एफ.	01	रू॰ 543267.00	रू॰ 5432.67
3	2012–13	समेकित	04	रू॰ 2860112.00	रू॰ 28601.00
		कुल	06	रू॰ 3722388.00	रू॰ 37224.20

इस प्रकार श्रम शेष की राशि रू. 37224.00 की कटौती नहीं की गई एवं सरकार के खाते में जमा नहीं की गयी थी।

श्रम शेष राशि कटौती नहीं करने के कारण नगर पंचायत द्वारा जानकारी का अभाव बताया गया।

उचित कारवाई करने तक श्रम शेष की कुल राशि रू. 37224.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

17. **अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क**

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क के सहायक रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत को दिसंबर 2006 के बाद अभी तक कोई मुद्रांक शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था।

जबाव में बताया गया कि प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। अतः नगर पंचायत से अनुरोध है कि अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क प्राप्त करने का प्रयास यथाशीघ्र करें।

18. **भविष्य निधि की राशि जमा नही रू. 8.84 लाख**

वेतन पंजी के नमूना जॉच में पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन से की गयी भविष्य निधि की कुल राशि रू. 884666.00 लेखापरीक्षा की तिथि तक भ.नि.नि. खाते में जमा नहीं की गयी थी। कटौती का विवरण निम्न प्रकार है–

क्रमांक	माह	भविष्य निधि राशि
1	अप्रैल 2011से जून 2012	रू० 604134.00
2	जुलाई 2012 से अक्टुबर 2012	रू० 142310.00
3	नवम्बर 2012 से फरवरी 2013	रू० 138222.00
	कुल राशि	रू० 884666.00

अंकेक्षण टिप्पणी

अतः भविष्य निधि खाते में कुल राशि रू० 884666.00 जमा नहीं करने के कारण कर्मचारियों को सूद की हानि हो रही थी।

जबाव में बताया गया कि भविष्य निधि की राशि सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में जमा कर दी जायेगी। इसे यथाशीघ्र संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा करा दिया जाय।

19. अनियमित क्रय/विचलन

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर के जिला जनगणना कोषांग के पत्र सं. 106/ जि.जन. दिनांक 05/ सितंबर 2012 के द्वारा निम्नलिखित उपकर क्रय करने हेतु रू० 71,000.00 रूपया नगर पंचायत, नवगछिया को दिया गया।

क्र.सं.	सामाग्री का नाम	सं.	निर्धारित दर (रू०)	कुल राशि (रू०)
1	पावर स्ट्रीप	40	440	17,600.00
2	स्लौटेड स्टील रैक	3	1800	5400.00
3	कम्प्यूटर टेबुल	2	4000	8000.00
4	कम्प्यूटर चेयर	10	3000	30000.00
5	स्टील कप बोर्ड, अलमीरा	1	10000	10000.00
कुल				रू० 71000.00

साथ मे यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त सामाग्रियों का क्रय संलग्न एनेक्चर ए. पर वर्णित तकनीकी विशिष्टता के अनुरूप किया जाना है।

उक्त क्रय के निर्देश के विरूद्ध नगर पंचायत, नवगछिया ने 10 कम्प्युटर चेयर रू० 29680.00 (@ 2968 x 10) एस. के. इन्जीनियरिंग वर्क्स, भागलपुर से तथा 5 आलमीरा रू० 50,000 (@ 10,000 x 5) आशु फर्निचर, नवगछिया से क्रमशः अभिश्रव संख्या 6/2012–13 तिथि 15.12. 2012 और अभिश्रव संख्या 8/2012–13 तिथी 15.12.2012 के द्वारा क्रय किया।